

21.5.16

काहना

पञ्जाबली कोर्ट केम्प मालाला पर पेश  
मूल वादु का निर्णय होने से प्रार्थना-  
पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं  
रहे है

उक्त प्रार्थना-पत्र श्वारी ज  
विका जाता है

पञ्जाबली केशल गुमा होकर  
गम्बर से काम हो।

(उम्मेद सिंह राजावत)  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा